क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/11/14	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/1/15 को पेश हो।
	7/1/15	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/15 को पेश हो।
	13/1/15	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/1/15 को पेश हो।
	21/1/15	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/2/15 को पेश हो।
	25/2/15	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आये वकील वादीगण को अन्तिम आवाज सायं 5.00 बजे दिलाई गई। वकील वादीगण अनुपस्थित अतः वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ता.मिसल
3.10.15

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

वाद संख्या 108 /2015

रामेश्वर

बनाम

मै0 बोरडिया बालाजी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी0पी0सी बाबत जवाब उल जवाब रेकार्ड पर लिये जाने

श्रीमानजी,

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के जवाब के विभिन्न मदो में प्रकरण के संबंध में नीवन तथ्यों का उल्लेख किया है जिनका रिजोईन्डर (जवाब उल जवाब) के माध्यम से जवाब दिया जाना प्रकरण के व न्यायिक निस्तारण के लिए अति आवश्यक एवं न्यायोचित है ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जवाब उल जवाब को रेकार्ड पर लिया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत जवाब उल जवाब को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

दिनांक 23/10/15
जयपुर

रामेश्वर
—वादी—